कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 20 (1) आयो/ निकाशि/07 /307 दिनांक 14 नवम्बर 2011

प्राचार्य
(यूजीसी से सम्बन्धित)
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय :- यू जी सी से प्राप्त अनुदान के उपयोग बाबत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भोपाल/ दिल्ली द्वारा ग्यारहवीं योजना में महाविद्यालय विकास सहायतार्थ जो वित्तीय सहायता महाविद्यालय को प्राप्त हुई है उसका पूर्ण रुप से उपयोग आयोग के द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं तिथि तक आवश्यक रुप से किया जावें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान के उपयोग में किसी प्रकार की शिथिलता नही बरतें अन्यथा आपको व्यक्तिशः उत्तरदायी मानते हुये आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

एफ 20(1)आयो/निकाशि/07/314 दिनांक 15.11.11

प्राचार्य
यू.जीसी से सम्बन्धित
समस्त राजकीय महाविद्यालय,

विषय :– यू जीसी द्वारा कॉलेज "विद रिलेटीवेली हॉयर प्रोपोरशन आफ एस सी /एस टी (नान क्रीमी लेयर) एन्ड मायनोरिटी योजना के तहत प्राप्त अनुदान व्यय के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यूजीसी द्वारा 11 वीं योजनान्तर्गत Colleges with relatively higher proportion of SC /ST / OBC (non - creamy layer) छात्रों के लिए एक योजना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत उक्त श्रेणी के चयनित छात्रों को 500.00 रु. प्रति माह का भुगतान किया जाना है । उक्त छात्रों को समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति दी जाती है। इस कारण से यूजीसी द्वारा जारी राशि को प्राचार्य, आयोग कार्यालय को लौटा रहे है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की गाइड लाईनुसार इस योजना हेतु SC /ST छात्रों के अतिरिक्त ओ बी सी /शारीरिक रुप से विकलांग एवं आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों (ऐसे छात्र जिनके परिवार की आय 5000/–रु. प्रति माह से कम हो) के लिए राशि का उपयोग किया जा सकता है । जिससे कि यूजीसी द्वारा जारी राशि का लाभ सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकें।

भवदीय

संयुक्त निदेशक